फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती जशोदा बनाम विपक्षी : श्री महेश कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 56/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश नही किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अत काउन्टर प्रार्थना पत्र पर जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 4, 7 से 9 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अत विपक्षी संख्या 3, 4, 7 से 9 का जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। विपक्षी संख्या 5, 6, 10, 12, 13, 14 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 5, 6, 10, 12, 13, 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 15 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनागरस्त भूमि मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रार्थनागरस्त भूमि मौके पर दो भागो मे है जिसमे से खसरा संख्या 510 एवं 509 कानोड बडीसादडी सडक मार्ग 540 के उत्तर दिशा की तरफ स्थित होकर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1, 2 की उपरोक्त कृषि भूमि कानोड बडीसादडी सडक मार्ग से सटी हुई है जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। खसरा संख्या 747 कानोड बडीसादडी मार्ग खसरा संख्या 540 के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित होकर उपरोक्त कृषि भूमि भी कानोड बडीसादडी सडक मार्ग से सटी हुई है। खसरा संख्या 747 रकबा 0.2500 है कृषि भूमि का प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के मध्य में पारिवारिक रूप से मौके पर बटवारा किया हुआ है जिसमे पूर्व दिशा की तरफ का हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के हिस्से मे रखा हुआ है पश्चिम दिशा की तरफ का हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के हिस्से मे रखा हुआ है एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के हिस्से की भूमि के बीच मे स्थित दो हिस्सो की भूमि को प्रार्थीगण के रखा हुआ है तथा उसी अनुसार कब्जा एवं उपयोग उपभोग है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार खसरा संख्या 747 मे विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थीगण का हिस्सा नही रखना चाहते है जिसके लिये विपक्षी संख्या 3 व 4 के साथ मिल कर प्रार्थीगण के विरूद्ध षडयन्त्र कर रहे है तथा विपक्षी संख्या 1, 2 ने प्रार्थीगण को कहा की उपरोक्त प्रार्थनागरस्त भूमि को विपक्षी संख्या 3, 4 खरीदने की इच्छा रखते है तथा विपक्षी संख्या 1 अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 3 को विक्रय करने को तैयार है एवं विपक्षी संख्या 2 अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 4 को विक्रय करने के लिये तैयार है परन्तु विपक्षी संख्या 3, 4 प्रार्थनागरस्त खसरा संख्या 747 को एक साथ ही खरीद करना चाहते है जिससे [illegible] संख्या 3, 4 को अपना अपना हिस्सा विक्रय कर दे परन्तु प्रार्थीगण [illegible] करने से मना कर दिया जिससे विपक्षी संख्या 3, 4 विपक्षी संख्या 5 [illegible] मिल [illegible] प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व कब्जा करने पर उतारू हो रहे [illegible] प्रार्थीगण को [illegible] से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपना जवाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:53 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एव विपक्षी संख्या 1, 2 को स्व. दलीचन्द से हिस्से बराबर से प्राप्त हुई एव इसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करने लग स्वीकार है परन्तु 1 वर्ष पुर्व प्रार्थीगण ने मौखिक रूप से प्रार्थनाग्रस्त कृषि भूमि मे से विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष मे उत्यागित कर दिया है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण हक अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 1, 2 विपक्षी संख्या 3, 4 के साथ मिलकर प्रार्थीगण कोई षड्यन्त्र नही किया है। प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे से अपना हिस्सा वापस प्राप्त क तो विपक्षी संख्या 1, 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मौखिक रूप से उनक विपक्षी संख्या 1, 2 के पक्ष में उत्यागित करने से प्रार्थीगण एव विपक्षी संख्या 3 से 14 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधा किया गया है उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त प्रार्थी एव विपक्षी संख्या 1, 2 खातेदार है। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा इस कथन को स्वीकार गया है कि खसरा संख्या 747 का प्रार्थीगण एव विपक्षी संख्या 1, 2 के मध्य पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है जिसमें पुर्व दिशा की तरफ का हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के हिस्से में दिशा की तरफ का हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के हिस्से में तथा विपक्षी संख्या 1, 2 के हिस्से के बीच में दो हिस्सो की भूमि प्रार्थीगण की रखी गई है जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कथन को बल मिलता है। साथ ही विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा कथन कहा की प्रार्थीगण द्वारा मौ रूप से उनके हिस्से की भूमि को विपक्षी संख्या 1, 2 के हिस्से में उत्यागित कर दिया है। संबध मे विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस बिन्दु को मुल में ही तय किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार प्रार्थीगण द्वारा कथन कहा है कि विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल करने आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृ मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के वि प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किये जाने से विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीक योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1, 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किय जाता है कि मौजा जसवन्तपुरा [illegible] (कानोड) तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज की जमाबंदी संवत 2078–81 की [illegible] नया 63 की आराजी नम्बर 509, 510, 747 किता 3 रकबा 0.7400 हे [illegible] 10, 12 से 14 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति [illegible] नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले इजलास [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:53 IST
Reason: SelfAttested